"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123-ओ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 मई 2009—ज्येष्ठ 7, शक 1931

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-64/2007/स. क./26.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2008 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा में नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो;

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिए शासन द्वारा, अनुमोदित समिति ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) सेवा से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पंचायत एवं समाज कल्याण तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना**—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद को मूलतः धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों की प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों,

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** — सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका**—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा ;

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम 3 में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद जो कि निमित्त विनिर्दिष्ट हो मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से, अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के लिये उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा जो इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित किए जाएं.

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे. परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जाना आवश्यक होगा. जो इन मापदण्डों या अन्य युक्ति-संगत प्रक्रिया शासन की सहमति से अपना सकेगी.

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति—** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में उल्लेखित भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जायेगी अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती की पात्रता संबंधी शर्तें—** प्रतियोगी परीक्षा के लिये पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु—**

(क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हों तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध), नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतम आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

टीप :— शासकीय सेवा में एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों, अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, अर्थात् :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी स्थानापन्न/आकस्मिकता आदाता सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यही रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते

इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :—शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किसी संगठित इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास तक निरन्तर रहा था तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो.

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो और
   (क) अल्पकालिन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
   (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं.

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरंतर छः मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब ये दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्डधारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति, सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव पुरस्कार एवं राष्ट्रीय पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिक एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा 8 (आठ) वर्ष तक शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) नि:शक्त अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी :— (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं. तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे.

टिप्पणी :— (2) किसी भी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी.

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं :—** अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

(तीन) **फीस :—** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता** — अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिये निरर्हता ठहराया जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा—** परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती —**

(1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती-नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी, इसमें तीन सदस्य होंगे—

(क) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतराल से ली जा सकेगी, जैसा की नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें.

(ख) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये आदेश के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जाएगी.

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती—

(एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करें.

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए समिति द्वारा नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया है, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे.

(7) ऐसे मामले में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे.

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित भी किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) सूची, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची-चार के कॉलम (6) में उल्लेखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायगी.

परन्तु, इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994), की धारा के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा.

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों में किया जायेगा जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी.

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें —**

(1) समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मौलिक रूप से) या सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो अनुसूची-चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार विचारण क्षेत्र आते हों.

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :—वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस वर्ष से की जायेगी जिसमें शासकीय सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति विधिमान्य होगी.

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त ठहराया गया हो. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उपरोक्त अवधि के अनुक्रम में अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी.

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (सिनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) पर आधारित होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जायेंगे.

स्पष्टीकरण :— ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

16. **चयन सूची—**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में वर्णित पदों में से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यतः उसके तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी.

(3) परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यों के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्गों के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श

करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करता हो.

18. **परिवीक्षा**— सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

19. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण**— इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे वे नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसे रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति**—इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति**—ऐसे समस्त नियम इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	भाग-एक मुख्यालय (लिपिकीय सेवा वर्ग)				
1.	सहायक अधीक्षक	02	तृतीय वर्ग	5000-150-8000	
2.	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	01	तृतीय वर्ग	4500-125-7000	
3.	सहायक वर्ग-1	02	—तदैव—	4500-125-7000	
4.	सहायक वर्ग-2	12	—तदैव—	4000-100-6000	
5.	लेखापाल	01	—तदैव—	4000-100-6000	
6.	वरिष्ठ अंकेक्षक	01	—तदैव—	4000-100-6000	
7.	सहायक वर्ग-3	21	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	
8.	डाटा एंट्री आपरेटर	02	—तदैव—	4000-100-6000	
	कुल पद	**42**			
	भाग-दो जिला स्तरीय (लिपिकीय सेवा वर्ग)				
1.	सहायक (डी.आर.सी.)	01	तृतीय वर्ग	5000-150-8000	
2.	लेखापाल सह कैशियर (डी.आर.सी.)	01	तृतीय वर्ग	4000-100-6000	
3.	मुख्य लिपिक (संभाग)	02	—तदैव—	4500-125-7000	
4.	सहायक वर्ग-1	03	—तदैव—	4500-125-7000	
5.	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	02	—तदैव—	4500-125-7000	
6.	स्टेनोग्राफर (कनिष्ठ वेतनमान)	01	—तदैव—	4000-100-6000	
7.	सहायक अधीक्षक सह लेखापाल	14	—तदैव—	4000-100-6000	
8.	लेखापाल	14	—तदैव—	4000-100-6000	
9.	सहायक वर्ग-2	47	—तदैव—	4000-100-6000	
10.	डाटा एंट्री आपरेटर	05	—तदैव—	4000-100-6000	
11.	सहायक वर्ग-3	93	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	
12.	स्टेनो टाइपिस्ट	02	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	
13.	भंडार सह लिपिक	01	—तदैव—	3050-75-3950-80-4590	
	कुल पद	**186**			

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	स. क्र.	सेवा या पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंचायत एवं समाज कल्याण	1.	सहायक अधीक्षक	02	—	100 प्रतिशत
	2.	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	01	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	3.	सहायक वर्ग–1	02	—	100 प्रतिशत
	4.	सहायक वर्ग–2	12	—	100 प्रतिशत
	5.	लेखापाल	01	—	100 प्रतिशत
	6.	वरिष्ठ अंकेक्षक	01	—	100 प्रतिशत
	7.	सहायक वर्ग–3	21	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत (भृत्य/अपेक्षित अर्हता रखने वाले चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से पदोन्नति द्वारा)
	8.	डाटा एंट्री आपरेटर	02	100 प्रतिशत	—
		भाग–दो संभाग स्तर			
पंचायत एवं समाज कल्याण	1.	लेखापाल कैशियर	01	—	100 प्रतिशत
	2.	सहायक	01	—	100 प्रतिशत
	3.	मुख्य लिपिक (संभाग)	02	—	100 प्रतिशत
	4.	सहायक वर्ग–1	03	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत
	5.	स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान)	02	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	6	स्टेनोग्राफर (कनिष्ठ वेतनमान)	01	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
	7.	सहायक अधीक्षक	14	—	100 प्रतिशत
	8.	लेखापाल	14	—	100 प्रतिशत
	9.	सहायक वर्ग–2	47	—	100 प्रतिशत
	10.	डाटा एंट्री आपरेटर	05	100 प्रतिशत	—
	11.	सहायक वर्ग–3	93	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत (भृत्य/अपेक्षित अर्हता रखने वाले चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से पदोन्नति द्वारा)
	12.	स्टेनो टाइपिस्ट	02	100 प्रतिशत	—
	13.	भंडारी सह लिपिक	01	100 प्रतिशत	—

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टेनोटाइपिस्ट	18	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी या हाईस्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. **या** 3. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/ राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर-साइंस/इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी/मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट का 2 वर्ष का डिप्लोमा. **या** 4. डाटाएन्ट्री का कम से कम 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	
2.	सहायक वर्ग-3	18	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी या हाईस्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. **या** 3. डाटाएन्ट्री का कम से कम 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	
3.	डाटाएन्ट्री आपरेटर	18	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी या हाईस्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/ राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी/मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट का 2 वर्ष का डिप्लोमा. **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी. जी. डिप्लोमा तथा स्नातक. **या** डाटाएन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र. **या** डाटाएन्ट्री का कम से कम 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				या डीओईएसीसी सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा एवं इसके द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर/प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय सर्टिफिकेट.	
4.	स्टेनोग्राफर	18	35	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्डरी या हाईस्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण. 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट हिन्दी या अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी एवं 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. या 3. डाटाएन्ट्री का कम से कम 10000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए.	

अनुसूची–चार
(नियम 13 एवं 14 देखिये)

विभाग का नाम	स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति किया जाना है	पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	पदोन्नति की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत एवं समाज कल्याण	1.	1. सहायक अधीक्षक (संचालनालय) 2. सहायक डीआरसी	लेखापाल सह कैशियर, डीआरसी	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक (प्रशासन/ — अध्यक्ष पंचायत संचालनालय) 2. संयुक्त संचालक रायपुर — सदस्य 3. संयुक्त संचालक बिलासपुर — सदस्य 4. उप संचालक (प्रशासन/ — सदस्य संचालनालय) या संचालक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य.	वरिष्ठता सह योग्यता
	2.	1. मुख्य लिपिक (जिला) 2. सहायक वर्ग-1 (संचालनालय तथा जिला) 3. स्टेनोग्राफर (वरिष्ठ वेतनमान, संचालनालय तथा जिला) 4. वरिष्ठ अंकेक्षक	1. सहायक अधीक्षक (संचालनालय) 2. सहायक डीआरसी	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	3.	1. मुख्य लिपिक (जिला) 2. सहायक वर्ग-1 (संचालनालय तथा जिला)	1. सहायक अधीक्षक (संचालनालय)	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	4.	1. सहायक अधीक्षक सह लेखापाल	1. मुख्य लिपिक (जिला) 2. सहायक वर्ग-1 (संचालनालय तथा जिला)	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	5.	1. लेखापाल	1. सहायक अधीक्षक सह लेखापाल	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	6.	1. सहायक वर्ग-2 (संचालनालय तथा जिला)	1. लेखापाल 2. वरिष्ठ अंकेक्षक	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—
	7.	1. सहायक वर्ग-3 2. स्टोर कीपर सह लिपिक.	1. सहायक वर्ग-2 (संचालनालय तथा जिला)	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पंचायत एवं समाज कल्याण	8.	1. स्टेनो टायपिस्ट	3. स्टेनोग्राफर (कनिष्ठ वेतनमान)	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक (प्रशासन/ पंचायत संचालनालय) — अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक रायपुर — सदस्य 3. संयुक्त संचालक बिलासपुर — सदस्य 4. उप संचालक (प्रशासन/ संचालनालय) या संचालक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य. — सदस्य	वरिष्ठता सह योग्यता
	9.	1. भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	1. सहायक वर्ग-3 2. स्टोर कीपर सह लिपिक.	5 वर्ष	—तदैव—	—तदैव—

टीप :— जिला स्तर संवर्ग के पदों की सीधी भर्ती/पदोन्नति समिति में, संयुक्त संचालक/उपसंचालक-अध्यक्ष, संस्था प्रभारी अधिकारी-सदस्य, जिला अंकेक्षक/पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक-सदस्य एवं परिवीक्षा अधिकारी-सदस्य होंगे.

Raipur, the 28th May 2009

NOTIFICATION

No. F-1-64/2007/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare, Class III (Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare, Class III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008.
   (2) It shall come into force, with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".
2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service or a post means such authority whom the powers to appoint in the service have been assigned by the Government;
   (b) "Selection Committee" means, a Committee for the direct recruitment approved by the Government;
   (c) "Examination" means the competitive examination for Recruitment conducted under rule 11;
   (d) "Government" means the Governor of Chhattisgarh;
   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes, specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Schedule Tribes, specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F.8-5-XXV-4-84 dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (j) "Service" means the Chhattisgarh Panchayat and Social Welfare Class III (Ministerial) Service;
   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scopes and Application.** - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rule, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.** - The service shall consist of the following persons, namely:-
(a) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule –I;
(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.** - The classification of the service and the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provide that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
(a) By Direct recruitment, through competitive examination and interview;
(b) By promotion of members of the service as shown in Column 3 of Schedule IV;
(c) By transfer of the persons who hold a substantive capacity in such posts in such service, as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may be order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the selection in direct recruitment posts by merit basis Government shall be made a criteria. Provided that Appointing Authority shall have to constituted a selection committee. These said criteria or appropriate procedure may be adopted by the Committee with the permission of the Government.

(6) At the time of recruitment the provision of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes reservation) Act, 1994 and the directives issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.** – All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and so such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**– In order to be eligible for Competitive Examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(i) Age.-

(a) He must have attained the age as specified in Column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in Column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (Five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a women candidate in accordance with the provisions of Rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997.

Note :- The maximum relaxable for upper age limit shall not be more than 45 years after giving relaxable from one or more than one reasons in Government Service.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent officiating/Contingencies payee Government Servant, should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporary and applying for another post should not be more than 38 years of age. This Concession shall also be admissible to the contingency paid employees, Work charge employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "retrenched Government Servant" denotes a persons who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three year.

Explanation:- The "term Ex-service man" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on
   (a) Completion of short term engagement,
   (b) Fulfilling and conditions of enrollment, discharged from the service.
(3) Ex-personal of Madras Civil Units;
(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service regular commissioned officers;
(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(6) Ex-serviceman invalid out of service;
(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(8) Ex-serviceman who is medically boarded out on account of gun-short wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 (Two) years in respect or Green Cards holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The General upper age limit shall be relaxable up to 5 (Five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Other Backward Classes Welfare Department;

(h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the "Shahid Rajiv Panday Award, Gundadhur Award, Maharaja Pravirchandra Bhanjdeo Award and National Award" holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j)The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 years;

(k) The upper age limit shall be relaxable in the case of disabled candidates as per the instructions issued from time to time by the State Government.

Note- (1) Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub clause (i) and (ii) of clause (d) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note- (2) In no other case will these age limits be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(l)In addition to above instructions given by the General Administrative Department from time to time will be compiled.

(ii) **Educational Qualifications.** - The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III,

(iii) **Fees.** - The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.** - Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates.** - The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.** -

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination** - A Appointing Authority shall constitute a selection Committee consisting of three members,-

(a) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time determine.

(b) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) **Direct Recruitment by Selection-**

(i) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the Appointing Authority may from time to time determine.

(ii) The Selection of candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing them,

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Pubic Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act., 1994 (No. 21 of 1994) and according to the orders of the State Government issued from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in sub rule-2 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the cases may be.

(6) Thirty percent posts shall be reserved for women candidates, is accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Appointing Authority it is found that the sufficient number of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes candidates.

(8) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. List of Candidates Recommended by the Selection Committee -

(1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in order of merit of the candidate who have qualified by such standard as the Appointing Authority may determine and the list of candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard but or declared by the selection committee to be suitable for the appointment

to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The list shall be valid for a period of one year from the date of issue by the Appointing Authority.

13. **Appointment by Promotion.** - (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Column (6) of the Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that, for the purpose of constitution of the committee under these sub rule, that provision of section of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made accordance with the instruction issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer.**- (1) The committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year, have completed such years of service, (whether officiating or substantive) in the years of the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts

declared equivalent there by the Government as specified in Column (3) of Schedule-IV and within the zone of consideration as mentioned in the Column (4) of schedule-IV.

Explanation - Method of Computation for Eligibility for Promotion - The calculation of the period of qualifying Service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting, is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service/post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) The promotion shall be valid in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

15. **Preparation of the list of Suitable Officers.** - (1) The Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions in Rule- 14, above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the selection list. A reserve list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of above said period.

(2) The criteria for preparation of select list shall be based on seniority subject to fitness as per provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) The name of persons included in the select list arranged in order of seniority in the service are post as specified in Column (3) of the Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation : The person, whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List. - (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (3) of Schedule - IV to the posts mentioned in column (3) of said Schedule.

(2) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year from the date of its preparation.

(3) Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person, included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and if the committee may, if it deems fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select List. - (1) Appointment of the Officers included in the select list to the post borne on the cadre of the service shall follow the order accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2)It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as render him unsuitable for appointment in the service.

18. Probation - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years

19. Interpretation - If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

20. Relaxation - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any member less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving** – All issues pertaining to these rules will not affected by any clause on reservation for the Schedule Casts, Schedule Tribes and Other Backward Classes by the orders issued by the State Government from time to time here after

22. **Repeal and Saving** – All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencements are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIRANJAN DAS, Joint Secretary.

SCHEDULE –I

(See Rule- 5)

S.N.	Name of the Posts included in the Service	Number of posts	Classification	Pay scale	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PART-I Headquarter (Clerical Service Class)				
1	Asst. Superintendent	02	Class - III	5000-150-8000	
2	Stenographer (Senior Scale)	01	Class - III	4500-125-7000	
3	Asst. Grade-1	02	-do-	-do-	
4	Asst. Grade-2	12	-do-	4000-100-6000	
5	Accountant	01	-do-	4000-100-6000	
6	Senior Auditor	01	-do-	4000-100-6000	
7	Asst. Grade-3	21	-do-	3050-75-3950-80-4590	
8	Data Entry Operator	02	-do-	4000-100-6000	
	Total Post	**42**			
	PART-II District level (Clerical Service Class)				
1	Assistant (DRC)	01	Class - III	5000-150-8000	
2	Accountant cum Cashier (DRC)	01	-do-	4000-100-6000	
3	Head Clerk (Division)	02	-do-	4500-125-7000	
4	Asst. Grade-1	03	-do-	4500-125-7000	
5	Stenographer (Senior Scale)	02	-do-	4500-125-7000	
6	Stenographer (Junior Scale)	01	-do-	4000-100-6000	
7	Asst. Superintendent cum Accountant	14	-do-	4000-100-6000	
8	Accountant	14	-do-	4000-100-6000	
9	Asst. Grade-2	47	-do-	4000-100-6000	
10	Data Entry Operator	05	-do-	4000-100-6000	
11	Asst. Grade-3	93	-do-	3050-75-3950-80-4590	
12	Steno typist	02	-do-	3050-75-3950-80-4590	
13	Store cum Clerk	01	-do-	3050-75-3950-80-4590	
	Total Post	**186**			

SCHEDULE –II
(See Rule- 6)

Name of Department	S.N.	Name of Post or Service	No. of Posts	% of Number of Posts to be filled	
				By Direct Recruitment	By Promotion of Members of service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panchayat and Social Welfare	1	Asst. Superintendent	02	-	100%
	2	Stenographer (Senior Scale)	01	50%	50%
	3	Asst. Grade-1	02	-	100%
	4	Asst. Grade-2	12	-	100%
	5	Accountant	01	-	100%
	6	Senior Auditor	01	-	100%
	7	Asst. Grade-3	21	75%	25% (promotion from eligible/ qualified IV Class employees)
	8	Data Entry Operator	02	100%	-
PART-II Division level					
Panchayat and Social Welfare	1	Accountant cum Cashier	01	-	100%
	2	Assistant	01	-	100%
	3	Head Clerk (Division)	02	-	100%
	4	Asst. Grade-1	03	25%	75%
	5	Stenographer (Senior Scale)	02	50%	50%
	6	Stenographer (Junior Scale)	01	50%	50%
	7	Asst. Superintendent	14	-	100%
	8	Accountant	14	-	100%
	9	Asst. Grade-2	47	-	100%
	10	Data Entry Operator	05	100%	-
	11	Asst. Grade-3	93	75%	25% (promotion from eligible/ qualified IV Class employees)
	12	Steno typist	02	100%	-
	13	Storekeeper cum Clerk	01	100%	

SCHEDULE –III
(See Rule- 8)

S. N.	Number of Post or Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational Qualification	Note
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Steno typist	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 System. 2. Must have passed Hindi Typing and 25 words per minute typing speed from any recognized institutions. 100 words per minute writing speed in Stenography. or 3. Two years diploma course of computer science/Information. Technology/Modern office management from recognized technical education board/State technical University or 4. The Data entry speed of at least 10,000 depression/Hr.	
2	Asst. Grade-3	18	35	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 System. 2. Must have passed Hindi Typing and 25 words per minute typing speed from any recognized Institutions or 3. The Data entry speed of at least 10,000 depression/Hr.	
3	Data Entry Operator	18	35	1. Must Have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 System. 2. Two years diploma course of Computer science/Information	

				Technology/Modern office management from recognized technical education board/State technical University or Graduation and P.G.D.C.A. from any recognized university or One year diploma certificate in Data entry operator/Programming or The Data entry speed of at least 10,000 depression or One year certificate course in Computer operator/Programme assistant from DOEACC society New Delhi and its recognized ITI	
4	Stenographer	18	36	1. Must have passed Higher Secondary or High School or equivalent examination under 10+2 System. 2. Must have passed in 25 words per minute Hindi typing and 30 words per minute English typing speed. Must have passed with 100 words per minute Hindi or English writing speed in Stenography from any recognized Institutions. or The Data entry speed of at least 10,000 depression/Hr.	

SCHEDULE –IV
(See Rule- 13 & 14)

Name of the Department	S. N.	Name of the Post from which promotion would be given	Name of the Post on which promotion would be given	Experience for Promotion	Member of Departmental Promotion Committee	Method of Promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panchayat and Social Welfare	1	1.Asst Superintendent (Directorate) 2. Assistant DRC	Accountant cum Cashier, DRC	5 year	1. Joint Director (Admn./Panchayat, Directorate)-Chairman 2. Joint Director Raipur - Member 3. Joint Director, Bilaspur-Member 4. Deputy Director (Admn/Directorat) or a member who is nominated by Director-Member	Merit Cum Seniority
	2.	1. Head Clerk (Districts) 2. Asst. Grade-I (Directorate & Districts) 3. Stenographer (Senior Scale, Directorate & Districts) 4. Senior Auditor	1.Asst. Superintendent (Directorate) 2. Assistant DRC	5 year	-do-	-do-
	3.	1. Head Clerk (Districts) 2. Asst. Grade-I (Directorate & Districts)	1. Asst. Superintendent (Directorate)	5 year	-do-	-do-
	4	1. Asst. Suptt. cum Accountant	1. Head Clerk (Districts) 2. Asst. Grade-I (Directorate & Districts)	5 year	-do-	-do-
	5.	1. Accountant	1. Asst. Suptt. cum Accountant	5 year	-do-	-do-

	6.	1. Asst. Grade-2 (Directorate & Districts)	1. Accountant 2. Senior Auditor	5 year	-do-	-do-
	7.	1. Asst. Grade-3 2. Store Keeper cum Clerk	1. Asst. Grade-2 (Directorate & Districts)	5 year	-do-	-do-
	8.	1. Steno Typist	1. Steno graphar (Junior Scale)	5 year	-do-	-do-
	9.	1. Peon (Class-IV)	1. Asst. Grade-3 2. Store Keeper cum Clerk	5 year	-do-	-do-

Note :- In the Comittee of Direct recruitment/Promotion of District level Cadre post's Joint/Duputi Director will be Chairman, Institution Incharge officer, District Auditor/PSEO and Probationary officer will be member.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.